न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 34/2022
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/54

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस. लिमिटेड, शाखा उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंटस:–

1. गीता हरिजन पत्नी श्री कमल हरिजन निवासी महावीर कॉलोनी, अम्बामाता, बांसवाडा, म.न. 3–जी 32 शास्त्री नगर, बांसवाडा
2. कमल हरिजन पुत्र श्री चम्पा लाल निवासी– महावीर कॉलोनी, अम्बामाता, बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 14.09.2022

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस. लिमिटेड, शाखा उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1. गीता हरिजन पत्नी श्री कमल हरिजन निवासी महावीर कॉलोनी, अम्बामाता, बांसवाडा, म.न. 3–जी 32 शास्त्री नगर, बांसवाडा 2. कमल हरिजन पुत्र श्री चम्पा लाल निवासी– महावीर कॉलोनी, अम्बामाता, बांसवाडा (ऋणी/अप्रार्थीगणो) को दिनांक 20–09–2014 को 4,72,695 (चार लाख बहत्तर हजार छः सौ पिच्चानवे रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11–04–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते दिनांक 31–05–2021 को कुल बकाया राशि मय ब्याज 4,59,783 रू. (चार लाख उनसठ हजार सात सौ तियासी रुपया) बकाया है, उक्त राशि एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया जिसके अन्तर्गत श्रीमती गीता हरिजन पत्नी श्री कमल हरिजन के नाम की मकान नं. 3–जी 32 शास्त्री नगर, बांसवाडा, में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्टस एवं पार्सल बैंक में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार क्षेत्रफल 72 [illegible] प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा [illegible] ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:23 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

राष्ट्रीय आवास बैंक के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. 01.0014.01 दिनांक 31.07.2001 से 1967 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड को आवास वित्त संस्थान का व्यापार करते रहने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 29 के अनुसार) दिनांक 03.09.2021 अनुसार कंपनी का नाम दीवान हाउसिंग फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड से बदल कर पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड कर दिया गया है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तिय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 16–06–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर अप्रार्थीगणो/ऋणी ने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व न ही ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक दिनांक 20–09–2014 को 4,72,695 (चार लाख बहत्तर हजार छः सौ पिच्चानवे रुपया) ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 14–07–2022 को जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस दिनांक 03–08–2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ एवं अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस उसकी मृत्यु हो जाने से अंदम तामील प्रस्तुत हुआ। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 बावजुद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 के सन्दर्भ में कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र एवं संशोधित उनवान पेश करने पाबंद किया गया। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं.2 श्री कमल हरिजन की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रकरण से उनका नाम विलोपित करने निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/ ऋणी सं. 2 श्री कमल हरिजन पुत्र श्री चम्पालाल हरिजन निवासी महावीर कोलोनी, अम्बामाता, बॉसवाडा का नाम प्रकरण से विलोपित किया जाता है। ऋणी/ अप्रार्थी सं. 1 को न्यायहित में अवसर दिये जाने के उपरांत भी आज पेशी दिनांक 14–09–2022 तक स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अनुपस्थित है। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 का जवाब [illegible] जाता है एवं एकपक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:23 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

(५) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ——————————

अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 गीता हरिजन पत्नी श्री कमल हरिजन निवासी महावीर कॉलोनी, अम्बामाता, बांसवाडा, म.न. 3–जी 32 शास्त्री नगर, बांसवाडा की उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस. लिमिटेड, शाखा उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:23 IST
Reason: SelfAttested